डेटा इनोवेशन लैब

(डीआई प्रयोगशाला)

अवधारणा और दिशानिर्देश

विषय वस्तु

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर 3

प्रयुक्त परिभाषाएँ: 5

डेटा इनोवेशन लैब-अवधारणा **6**

1) परिचय 6

2) उद्देश्य ..... **Error! Bookmark not defined.**

3) प्रयोज्यता 6

4) शासन/प्रशासनिक ढांचा 7

i. संचालन परिषद (जीसी) संविधान: 7

ii चयन समिति (एससी) संविधान: 8

विशेषज्ञों का पूल: 9

शिकायत निवारण 9

डाटा इनोवेशन लैब: दिशानिर्देश **11**

5) पात्रता 12

6) समस्या कथन का दायरा /विचारों और प्रस्तावित समाधानों की मुख्य विशेषताएं: 12

7) चयन प्रक्रिया 13

7.1) मूल्यांकन प्रक्रिया 14

8) साझेदारी बनाना 15

9) परियोजना कार्यान्वयन 15

9.1) जीसी द्वारा लिए निर्णयानुसार सहायता 16

9.2) पीओसी का कार्यान्वयन/incubation/स्थिरीकरण/अनुमोदित प्रस्ताव 17

10) आवधिक मूल्यांकन 18

11) संभावित कार्यकाल 18

12) निकासी 18

13) रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (ईओआई) 19

14) ड्राफ्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फॉर्म 20

15)समस्या का विवरण 24

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

1. एडीजी: अपर महानिदेशक
2. सीसी: कंप्यूटर सेंटर
3. डीआईआईडी: डेटा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग
4. डीआई लैब: डेटा इनोवेशन लैब
5. जीसी: संचालन परिषद
6. आईएफडी: आंतरिक वित्त प्रभाग
7. आईपी: बौद्धिक संपदा
8. आईएसआई: भारतीय सांख्यिकी संस्थान
9. एमईआईटीवाई: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
10. एमओएसपीआई: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
11. एमओयू: समझौता ज्ञापन
12. एनआईसी: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
13. एनओसी: अनापत्ति प्रमाण पत्र
14. एनएसओ: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
15. एनएसएस: राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली
16. पीएमयू: परियोजना प्रबंधन इकाई
17. पीओसी: अवधारणा का प्रमाण
18. पीएसए: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार
19. क्यूबीएस: गुणवत्ता-आधारित चयन
20. क्यूसीबीएस: गुणवत्ता और लागत आधारित चयन
21. आरबीआई: भारतीय रिजर्व बैंक
22. आरईओआई: रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध
23. आरएफ़पी: प्रस्तावों के लिए अनुरोध
24. एससी: चयन समिति
25. एसडीजी: सतत विकास लक्ष्य
26. एसडीआरडी: सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग

27. एसडीजी: विषय वस्तु प्रभाग
28. एसएसडी: सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
29. टीएसी: तकनीकी सलाहकार समिति

प्रयुक्त परिभाषाएँ:

1. पद्धतिगत अध्ययन: पद्धतिगत अध्ययन उन अध्ययनों को संदर्भित करता है जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है।
2. बीटा सांख्यिकी: बीटा सांख्यिकी में विकसित नए आंकड़े शामिल होते हैं जो प्रशासनिक सांख्यिकी, नए और अभिनव डेटा संग्रह / प्रसंस्करण / प्रसार पद्धतियों सहित अभिनव / वैकल्पिक और उभरते डेटा स्रोत का उपयोग करते हैं। बीटा आँकड़े शुरू में त्रुटि के उच्च मार्जिन के साथ आ सकते हैं क्योंकि उपयोग किए गए डेटा / तरीके प्रकृति में प्रयोगात्मक हैं।

डेटा इनोवेशन लैब-अवधारणा

1. परिचय

भारत सरकार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सांख्यिकीय डेटा पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमओएसपीआई के प्रमुख डेटा उत्पादों के प्रसार के लिए डेटा कैटलॉग पोर्टल का निर्माण, एक केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी विकसित करना, बड़े सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए ई-सिग्मा समाधान, साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को मापने के लिए एक ढांचा शामिल है।

मंत्रालय की प्रस्तावित आईटी पहलों के तहत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कंप्यूटर केंद्र (सीसी) (तत्कालीन डेटा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी)) को डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार और आधिकारिक सांख्यिकी के अन्य संबंधित क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकी समाधानों को आत्मसात करने की सुविधा के लिए अनिवार्य किया गया है। आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में निरंतर सुधार और नवाचार की आवश्यकता है जिसे डेटा नवाचार-लैब (डीआई लैब) स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रयोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा और नवाचार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए संस्थानों का एक नेटवर्क तैयार करेगा।

2. उद्देश्य

डेटा इनोवेशन लैब का उद्देश्य सर्वेक्षण से संबंधित कार्यप्रणाली सहित आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (एनएसएस) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।

डेटा इनोवेशन लैब प्रयोग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उद्यमियों / शोधकर्ताओं, और स्टार्ट-अप, शैक्षणिक-अनुसंधान संगठनों और संस्थानों सहित अन्य संगठनों आदि जैसे व्यक्तियों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से नए विचारों और उनके प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट की पेशकश करेगा।

3. प्रयोज्यता

इस दस्तावेज़ में डीआई लैब से संबंधित परिचालन मामलों के लिए व्यापक नीति और रूपरेखा शामिल है। इन निम्नलिखित पहलुओं को दस्तावेज़ के दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है:

1. वांछनीयता
2. चयन प्रक्रिया
3. परियोजना कार्यान्वयन
4. आवधिक मूल्यांकन
5. संभावित अवधि

6. निकास प्रक्रिया/सत्यापन प्रोटोकॉल

4. संचालन/प्रशासनिक सेटअप

डीआई लैब के संचालन ढांचे में शामिल होंगे:

i. शीर्ष स्तर का संचालन और संचालन **परिषद** (जीसी) द्वारा दिशानिर्देश जारी करना;

ii. **चयन समिति** (एससी) डीआई लैब में किए जाने वाले परियोजना/समाधानों का चयन करने के लिए;

संचालन परिषद (GC) का गठन:

i. सचिव, एमओएसपीआई- अध्यक्ष

ii. महानिदेशक (सी व ए) - सदस्य

iii. महानिदेशक (सांख्यिकी)- सदस्य

iv. महानिदेशक (सर्वेक्षण)- सदस्य

v. एएस एंड एफए, एमओएसपीआई - सदस्य

vi. पीएसए के कार्यालय के प्रतिनिधि, भारत सरकार – सदस्य

vii. आईएसआई के प्रतिनिधि, दिल्ली - सदस्य

viii. नीति आयोग के प्रतिनिधि

ix. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि

x. अपर महानिदेशक (सीसी) - सदस्य सचिव

कोरम में 6 सदस्य शामिल होंगे।

*संचालन परिषद **के विचारार्थ विषय:***

i. डेटा इनोवेशन लैब के लिए दिशानिर्देश/रूपरेखा तय करना ।

ii. किसी भी मध्यावधि सुधार/परिवर्तन सहित डेटा इनोवेशन लैब की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देना ।

iii. चयन समिति द्वारा अनुशंसित समस्या कथनों का चयन करना ।

iv. परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक समीक्षा करना।

v. चयनित इकाई को वित्तीय सहायता का अनुमोदन करना और डीआई लैब चलाने से संबंधित अन्य प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं पर निर्णय लेना (जैसे, आकाओं को पारिश्रमिक, आदि।

vi. डीआई लैब से संबंधित कोई अन्य मामला।

ii चयन समिति (SC) का गठन:

i. महानिदेशक (सी व ए) - अध्यक्ष
ii. अपर महानिदेशक (सीसी) - सदस्य
iii. संबंधित प्रभाग के अपर महानिदेशक
iv. निदेशक/उप सचिव, आईएफडी- सदस्य
v. प्रौद्योगिकी के आधार पर विशेषज्ञ नामित किया जाना चाहिए (आईआईटी, आईआईएम, आदि जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से)
vi. विशेषज्ञ को डेटा विश्लेषण के आधार पर नामित किया जाएगा (आईआईटी, आईआईएम, आदि जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से)
vii. इस प्रयोजन के लिए सृजित विशेषज्ञों के पूल से आवश्यकता के अनुसार दो तकनीकी विशेषज्ञ
viii. उप महानिदेशक (सीसी) - सदस्य सचिव

(च) में विशेषज्ञों को अध्यक्ष संचालन समिति के अनुमोदन से नामित किया जाएगा।

नोट: यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त विशेषज्ञों को डोमेन/विशेषज्ञों के पूल से सहयोजित किया जा सकता है। समिति का गठन परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है और पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सभी सदस्यों को तदनुसार सहयोजित किया जाएगा।

चयन समिति के विचारार्थ विषय:

1. जीसी के विचार के लिए डीआई लैब के लिए समस्या विवरण का चयन
2. आरईओआई/आरएफपी से पहले समाधान प्रस्तावित करने वाली संस्थाओं के चयन के लिए मानदंड को परिभाषित करना।
3. वित्तीय सहायता के साथ चयनित इकाई की सिफारिश जीसी को करना।
4. नामांकन/निगरानी दल के लिए विनिर्देश/विशेषज्ञों का पूल
5. डीआई-लैब प्रस्तावों की तकनीकी जांच करना।
6. आवश्यकतानुसार जीसी को तकनीकी मामलों पर सलाह देना।
7. चयनित परियोजना के लिए आवश्यक होने पर समर्थन और सलाह के लिए आकाओं को नामित करना।
8. विशिष्ट समस्या कथनों के संबंध में डिलिवरेबल्स को परिभाषित करना और अनुशंसा करना
9. यदि आवश्यक हो तो कम प्रदर्शन करने वाले सहित किसी चयनित इकाई को परिभाषित करना और बाहर निकलने की सिफारिश करना।
10. संचालन समिति द्वारा तय किया गया कोई अन्य मामला।

iii. विशेषज्ञों का पूल:

आईसीटी और डेटा अधिग्रहण, डेटा एकीकरण, डेटा प्रबंधन, डेटा पुनर्प्राप्ति, डेटा प्रसार, डेटा भंडारण, प्रसंस्करण, विश्लेषण, विज़ुअलाइज़ेशन, सुरक्षा, अभिलेखीय और डेटा गवर्नेंस जैसे अन्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर संस्थानों / संगठनों के विशेषज्ञों का एक पूल है। विभिन्न प्रणालियों के साथ एपीआई एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय डेटा एकत्रीकरण और प्रसार। सॉफ्टवेयर विकास के लिए माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर में गणना के लिए क्लाउड प्रबंधित सेवाओं का उपयोग करते हुए, एपीआई गेटवे, लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस, सीआईसीडी परिनियोजन, लागत अनुकूलन और प्रदर्शन के लिए ऑटोस्केलिंग और सर्वर रहित प्रौद्योगिकियों का उपयोग डेटा और उपयोग के मामले आदि के अनुसार विसंगति का पता लगाने, समय श्रृंखला, भविष्य बताने वाला विश्लेषण आदि के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त विषय प्रकृति में सांकेतिक हैं और परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर अतिरिक्त विषयों के लिए विशेषज्ञों पर विचार किया जा सकता है।

संस्थानों/सदस्यों की पहचान प्रौद्योगिकी/डेटा विज्ञान उपकरण/डेटा एनालिटिक्स/सांख्यिकी/सार्वजनिक नीति से संबंधित मुद्दों आदि को संभालने में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर की जा सकती है। नीचे प्रस्तावित संस्थानों की सुझाई गई सूची सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है और इसे संचालन समिति के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है। नीचे सुझाई गई सूची से विशेषज्ञों के लिए एक पूल का गठन किया जा सकता है।

1. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
2. आईएसआई, आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान भी संस्थान स्थापित कर रहे हैं।
3. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
4. एनआईसी के प्रतिनिधि
5. पीएसए से प्रतिनिधि
6. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM)
7. माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN)
8. राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर)
9. आधिकारिक सांख्यिकी, डेटा विज्ञान, सर्वेक्षण विधियों और संबंधित पहलुओं में प्रख्यात विशेषज्ञ।

शिकायत निवारण

सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय तथा इसके सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में लोक शिकायत निवारण तंत्र प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है। (संदर्भ: https://darpg.gov.in/sites/default/files/PGR_Guideline.pdf) और डीआई लैब के शिकायत निवारण के लिए भी यही तंत्र होगा।

डेटा इनोवेशन लैब कम्प्युटर सेंटर के तहत संचालित किए जाएंगे और अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी), सीसी की समग्र देखरेख में काम करेंगे। डीआई लैब के गठन से संबंधित कार्य जैसे सैंड बॉक्सिंग वातावरण का निर्माण/हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की उपलब्धता आदि भी संबंधित हैं। उपयुक्त भागीदारों/आउटसौर्सिंग के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा सकती है।

डेटा इनोवेशन लैब: दिशानिर्देश

डीआई लैब राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (एनएसएस) को मजबूत करने के लिए नवाचार के हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भागीदारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी, समस्या विवरणों की पहचान के लिए हितधारक परामर्श और पहचान की गई समस्या विवरण/परियोजना के तकनीकी समाधान के लिए काम करना शामिल है। व्यापक प्रचार और समस्या विवरणों पर सक्षम और सक्षम प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए डेटाथॉन, कार्यशालाएं आदि जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। नवाचार के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए परिकल्पित सांकेतिक गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण	
आउटरीच गतिविधियाँ	
समस्या कथनों के समाधान के लिए सहयोग	उद्यमी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शोधकर्ता, और स्टार्ट-अप, शैक्षणिक-अनुसंधान संगठनों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा संस्थानों आदि सहित अन्य संगठन।
समझौता ज्ञापन	आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में एनएसओ द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के प्रति इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों की संवेदनशीलता के लिए साझेदारी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के साथ-साथ एनएसएस के लिए प्रासंगिक चुनौतियों की पहचान के साथ-साथ उसी के समाधान के लिए अभिनव समाधान बनाने के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीआई लैब और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों (मुख्य रूप से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसमें दोनों पक्षों की सहयोगी गतिविधियों और भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को शामिल किया जाएगा और यह गैर-वाणिज्यिक होगा। (डिजाइन और समस्या कथन)।
संविदा करार	संविदा करार पर चयनित संस्थाओं के साथ सहमत संविदा करार प्रारूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे जहां डिलिवरेबल्स और समय-सीमा सहित वित्तीय शर्तें निर्धारित की जाएंगी। संस्थानों के बीच सहयोग पर कोई रोक नहीं है, वे उनके बीच एक परियोजना लीड की पहचान करेंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक संस्थान (जैसे, एक विश्वविद्यालय) के एक व्यक्तिगत शोधकर्ता को इस गतिविधि के उद्देश्य के लिए संस्थान के रूप में माना जाएगा क्योंकि वह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा और विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र / अनुमोदन लेने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा।
कार्यशालाएं और सेमिनार	संवेदीकरण और सक्रिय भागीदारी के लिए, प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ डेटाथॉन सहित कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच	एमओएसपीआई डेटा सेट और एमओएसपीआई के पास उपलब्ध सॉफ़्टवेयर के लिए भूमिका-आधारित पहुँच प्रदान करने में चयनित संगठन/व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना। ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो क्लाउड नेटिव हैं। नवाचार

	और उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए एक उपयुक्त सैंड बॉक्सिंग वातावरण आउटसोर्सिंग या अन्यथा के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।
एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण	व्यापक प्रचार, समस्या बयानों के प्रसार, डेटा विज्ञान के क्षेत्र में चुनौती के क्षेत्र पर इनपुट मांगने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (डीआई-लैब पोर्टल) का निर्माण।

विभिन्न कार्यों के समस्या विवरण/विचारार्थ विषय रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध [आरईओआई]/प्रस्तावों के लिए अनुरोध [आरएफपी] के भाग के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल [https://eprocure.gov.in/cppp/] सहित ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे और समाधान/प्रस्ताव भी समय-समय पर इस संबंध में प्रकाशित भारत सरकार के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार सहमत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।

1. पात्रता

डीआई लैब में प्रवेश डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी इच्छुक संस्थाओं और आधिकारिक आंकड़ों से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए खुला है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

1. प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्य/छात्र टीम, व्यक्तिगत रूप से या सहयोगात्मक रूप से/संबंधित क्षेत्र के अन्य संगठनों और संस्थानों
2. स्टार्ट-अप कंपनियां
3. फ्रीलांसिंग डेटा वैज्ञानिक
4. डेटा विज्ञान/वृहत डेटा से संबंधित ब्लॉगर्स
5. अनुसंधान एजेंसियां
6. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने संबंधित क्षेत्र में संस्थाओं को सहायता प्रदान की
7. डेटा विज्ञान/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिद्ध विश्वसनीयता वाले व्यक्ति

सक्षम संस्थाओं का चयन सुनिश्चित करने के लिए आरएफपी आदि जारी करते समय चयन मानदंडों में एक उपयुक्त रक्षोपाय बनाया जाना चाहिए।

6. प्रस्तावित समाधानों के समस्या कथन/विचारों और मुख्य विशेषताओं का दायरा:

समस्या विवरणों के दायरे को विचारार्थ विषयों के रूप में विस्तृत किया जाएगा और यह आरईओआई/आरएफपी का हिस्सा होगा।

ईओआई/आरएफपी और इसके जवाब में प्रस्ताव:

(i) डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण, प्रसार और डेटा के उपयोग के नए अभिनव मॉडल के लिए संरेखित करने की आवश्यकता होगी, और डेटा प्रतिनिधित्व के नए मॉडल (निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों के लिए सार्थक संदर्भ और व्याख्या), और / या पद्धतिगत अध्ययनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा;

(ii) क्रॉस-कटिंग थीम को कवर कर सकते हैं (डेटा-सेट में क्षेत्रीय साइलो को व्यवस्थित रूप से तोड़ने के लिए; एसडीजी के कार्यान्वयन और प्रभाव को मापने के मामले में विशेष रूप से प्रासंगिक);

(iii) पद्धतिगत नवाचारों पर अनुसंधान का प्रस्ताव कर सकते हैं। इससे आंकड़ा संग्रहण, मिलान और प्रसार के लिए मानक विकसित करने; उपयोगी वृहत और सूक्ष्म संकेतक तैयार करने और उनके प्रॉक्सी कैप्चर मूल्य तैयार करने; और भारतीय आंकड़ा सेटों की अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी; और

(iv) आरईओआई/आरएफपी टेम्पलेट या अन्य प्रासंगिक प्रारूपों के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

1. चयन प्रक्रिया

जीसी एससी की सिफारिशों के आधार पर चयन करेगी।

चयनित समस्या विवरणों के लिए समस्या कथनों/समाधानों का चयन रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और अन्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों सहित अन्य आधिकारिक सांख्यिकी एजेंसियों की आवश्यकता के अनुरूप होगा और इसे विचारार्थ विषयों के माध्यम से विस्तृत किया जाएगा। हम लक्षित व्यक्तियों और संस्थाओं के सटीक सबसेट को कैपचर करने के लिए अधिक रणनीतिक रूप से चयन से निपट सकते हैं, लेकिन साथ ही, सगाई के नए मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त लचीला (उदाहरण के लिए, टीम-आधारित /कंसोर्टियम प्रविष्टियां)

ऐसे मामलों में जहां किसी समस्या विवरण के समाधान के लिए कार्य क्षेत्र (एसओडब्ल्यू) पर अपेक्षित स्पष्टता है, तो प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) किसी भी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की मांग किए बिना प्रकाशित किया जा सकता है। तथापि, चूंकि परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित समाधान में नवाचार की आवश्यकता होगी, इसलिए कुछ मामलों में (कार्य के क्षेत्र में) स्पष्टता का अभाव हो सकता है। ऐसी स्थितियों में, उपलब्ध विकल्पों को मापने के लिए और अंत में कार्य के स्पष्ट दायरे पर पहुंचने से पहले एक ईओआई बनाया जा सकता है (जिसका उपयोग अंतिम दस्तावेज़ प्रकाशित करते समय किया जा सकता है)। यदि उपयुक्त उत्तर प्राप्त होता है तो सर्वेक्षण से संबंधित पद्धतियों सहित सरकारी सांख्यिकी के सभी क्षेत्रों पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, समस्या विवरणों और लक्षित संगठनों की विषय-आधारित सूची के लिए स्काउट करने के लिए ईओआई/आरएफपी के लिए अनुरोध शुरू करने से पहले सूचना सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। एमओएसपीआई के साथ जुड़ा पीएमयू आउटरीच और संचार सहित योजना के प्रबंधन में सहायता कर सकता है।

निम्नलिखित विशिष्ट परिस्थितियों में एक ईओआई जारी किया जाना चाहिए:

1. कार्य का दायरा स्पष्ट नहीं है, इसलिए ईओआई नोडल एजेंसी को संभावित परामर्शदाताओं के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से कार्य के दायरे को परिभाषित और परिष्कृत करने में मदद कर सकता है
2. संभावित सलाहकार सेवाओं और सलाहकारों के लिए बाजार मूल्यांकन करने के लिए
3. कई दृष्टिकोण संभव हैं और इसलिए सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है
4. बजट अनुमान अस्पष्ट (या लचीले) हैं
5. यदि मंत्रालय डीआई लैब के लिए परामर्श शुरू करने का निर्णय लेता है तो 25 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से अधिक सभी परामर्श अनुबंधों के लिए।

7.1) मूल्यांकन प्रक्रिया

ईओआई/आरएफपी के लिए प्रस्ताव प्रकट मानदंडों के अनुसार और भारत सरकार के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे।संबंधित संगठनों/एजेंसियों/व्यक्तियों/स्टार्ट-अप से ईओआई/प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(क) प्रारंभिक परीक्षा

पीएमयू के माध्यम से डीआई लैब ऑनलाइन प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर खुलासा शॉर्टलिस्टिंग और पात्रता मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए प्राप्त विस्तृत ईओआई/प्रस्तावों की प्रारंभिक परीक्षा करेगा (डीआई लैब के लिए ऑनलाइन पोर्टल के विकास तक आवेदन ईमेल पर कॉल किए जाएंगे)। आवेदन की पूर्णता का पता लगाने के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो डीआई लैब द्वारा आवेदक से आगे के दस्तावेज/जानकारी मांगी जा सकती है, यदि यह प्रकृति में ऐतिहासिक है, और केवल तभी जब इसका उल्लेख ईओआई/आरएफपी में किया गया हो, लेकिन आवेदक द्वारा सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हों। प्रत्येक आवेदन के लिए, एनएसएस के लिए प्रस्तावित समाधान के परियोजना उद्देश्य, रणनीति, प्रासंगिकता और उपयोगिता को कवर करने वाला एक संक्षिप्त नोट पीएमयू की सहायता से कंप्यूटर सेंटर द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ख) चयन समिति (एससी) द्वारा विस्तृत स्क्रीनिंग

चयन समिति प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन दो भागों में करेगी- (क) तकनीकी मूल्यांकन, और (ख) वित्तीय मूल्यांकन। (वित्तीय मूल्यांकन ईओआई प्रक्रिया के तहत प्रासंगिक नहीं होगा और यह केवल तभी लागू होगा

जब प्रक्रिया आरएफपी चरण में चली जाती है। ईओआई का उद्देश्य संभावित बोलीदाताओं की पहचान करने और स्पष्टता के साथ दायरे को परिभाषित करने तक सीमित होगा)।

तकनीकी मूल्यांकन के अंतर्गत चयन समिति बहु-पूर्व-परिभाषित मीट्रिक आधार पर प्रस्ताव की जांच करेगी और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के सुधार/सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में प्रस्ताव की उपयुक्तता, स्वीकार्यता और व्यवहार्यता के संबंध में निर्णय लेगी। यदि आवश्यक हो तो चयन समिति द्वारा अतिरिक्त विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

समिति अनिवार्य रूप से प्रस्तावक की ओर से प्रस्तुतिकरण देगी ।

वित्तीय मूल्यांकन (आरएफपी चरण के दौरान लागू) के अंतर्गत चयन समिति प्रस्तावक के प्रयासों की तुलना में मांगी गई वित्तीय सहायता की जांच करेगी और यदि आवश्यक हो, तो लक्ष्यों और डिलिवरेबल्स/मूल्य पर आगे चर्चा/बातचीत कर सकती है और यदि चयनित संस्था के साथ बातचीत सफल होती है तो अनुबंध के सहमत रूप में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है।

समस्या कथन की जटिलता और संबंधित बाधाओं के आधार पर सबसे उपयुक्त विधि पर पहुंचा जाएगा।

समग्र परियोजना वर्तमान जीएफआर, 2017 द्वारा शासित होगी।

सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सिफारिश जीसी को उनके विचार के लिए भेजी जाएगी।

(ग) शिकायतों का निवारण

एमओएसपीआई और मंत्रालय में लोक शिकायत निवारण तंत्र और इसके सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (संदर्भ: https://darpg.gov.in/sites/default/files/PGR_Guideline.pdf) के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं ।

(घ) अनुबंध समझौता

डीआई लैब, सीसी और चयनित इकाई के बीच समझौते को समस्या विवरण की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा, जो समस्या विवरण के लिए बोली दस्तावेज/टीओआर में बताई गई शर्तों और प्रस्तावित समाधानों के आधार पर होगा।

1. साझेदारी बनाना

आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में एनएसओ द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के प्रति इच्छुक व्यक्तियों/प्रतिभागियों के संवेदनशील होने के साथ-साथ एनएसएस के लिए प्रासंगिक चुनौतियों की पहचान

को प्रोत्साहित करने और उन्हें संबोधित करने के लिए अभिनव समाधान बनाने के लिए भागीदारी के लिए साझेदारी के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए डीआई लैब और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन किए जा सकते हैं। समझौता ज्ञापन डीआई लैब जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन और डीआई लैब, सीसी के साथ जुड़ाव के समग्र इरादे पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें दोनों पक्षों की सहयोगी गतिविधियों और भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को शामिल किया जाएगा और यह गैर-वाणिज्यिक होगा।

- परियोजना कार्यान्वयन

चयनित इकाई डीआई लैब द्वारा प्राप्त/जारी समस्या विवरण के तकनीकी समाधान की पेशकश करने के लिए परियोजना को निष्पादित करेगी। डेटा, बुनियादी ढांचे (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)/पर्यावरण और तकनीकी जानकारी तक पहुंच के संदर्भ में वांछित समर्थन संगठन के डोमेन विशेषज्ञ के साथ उपलब्ध है, यदि आवश्यक हो तो मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले समाधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा जो क्लाउड नेटिव हैं। डीआई लैब समय-समय पर निष्पादन की प्रगति की समीक्षा करेगा और तदनुसार इसकी निरंतरता/समापन आदि की सिफारिश की जाएगी।

9.1) जीसी द्वारा लिए निर्णयानुसार सहायता

- भौतिक अवसंरचना- कार्यालय स्थान, साझा संसाधन जैसे बैठक कक्ष, सम्मेलन कक्ष आदि।
- बिजली और इंटरनेट जैसी उपयोगिताएँ
- आईटी समर्थन- सीसी के साथ उपलब्ध सॉफ्टवेयर, एमओएसपीआई के डेटासेट, सैंडबॉक्सिंग पर्यावरण आदि।
- प्रस्ताव में दिए गए पारिश्रमिक और वित्त पोषण, और गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित के रूप में
- सलाहकार और कोचिंग - सलाह, संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह, यदि आवश्यक हो

9.1.1) वित्तीय सहायता

संभावित भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव समाधानों के लिए वित्तीय सहायता मौलिक है। डीआई लैब के तहत वाणिज्यिक/वित्तीय सहायता को तीन भागों में विभाजित किया गया है: -

9.1.1.1) नियमित गतिविधियां

संवेदीकरण और जागरूकता के लिए डेटाथॉन/कार्यशालाएं/कार्यक्रम **जागरूकता पैदा करने और समस्या-समाधान समूहों की पहचान करने के लिए घटनाओं और प्रतियोगिताओं का संचालन करें**	
समस्या का विवरण	हितधारक परामर्श के माध्यम से समस्या विवरणों की पहचान उपयोगकर्ता इंटरैक्शन/पूछताछ को संभालना और संचार को सुनिश्चित करना।
सामग्री विकास	प्रत्येक समस्या कथन को विस्तृत किया जाएगा, एक स्व-व्याख्यात्मक वीडियो या किसी अन्य माध्यम से समझाया जाएगा जो सुसंगतता को बढ़ाएगा।
डेटाथॉन/कार्यशालाएं/कार्यक्रम	वर्ष में कम से कम एक बार बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संभावित/संभावित दर्शकों/भागीदारी के अनुसार आवश्यकता आधारित लघु कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

9.1.1.2) चयनित परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

चयनित संस्थाओं के साथ अनुबंध: विचार के कार्यान्वयन और बीटा सांख्यिकी उत्पन्न करने या समाधान को लागू करने के लिए, संचालन समिति की समग्र स्वीकृति के साथ चयन समिति की सिफारिश के बाद 5 लाख रुपये से शुरू होकर 1 करोड़ रुपये तक का कार्य आदेश (प्रत्येक परियोजना के लिए मंजूरी) जारी किया जा सकता है। फर्मों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/व्यक्तियों आदि (अनुभाग 5 देखें) जिन्हें अनुबंध प्रदान किया गया है, उन्हें चयन समिति की सिफारिश के बाद और संचालन परिषद के समग्र अनुमोदन के बाद, समाधान की अवधारणा के प्रमाण को रेखांकित करते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर 50,000 रुपये या अनुबंध राशि का 10%, जो भी कम हो, तक भुगतान किया जा सकता है। अनुबंध में मील के पत्थर, समयसीमा और डिलिवरेबल्स के साथ-साथ भुगतान अनुसूची और परियोजना कार्यान्वयन की अन्य शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा। असाधारण मामलों में, जटिलताओं और आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेपों के आधार पर, जीसी 1.0 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा में छूट दे सकता है।

मानदेय: डीआई लैब समितियों में गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए डीओई के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार मानदेय और टीए / डीए को अधिकृत/प्रतिपूर्ति की जाएगी। आज की तारीख तक, प्रति बैठक 4000/- रुपये का मानदेय और डीओई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.09.2017 के अनुसार टीए/डीए पात्रता।

गैर-सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सलाह देने के लिए एक उपयुक्त मानदेय का निर्णय जीसी द्वारा किया जा सकता है।

9.2) पीओसी का कार्यान्वयन/इंक्यूबेसन/स्थिरीकरण/अनुमोदित प्रस्ताव

अंतिम उद्देश्य प्रस्तावित समाधान को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (एनएसएस) में आत्मसात करना है। ऐसा होने के लिए आवश्यक प्रक्रिया, पुन: इंजीनियरिंग और नवाचार को अपनाने के लिए भी सीसी के माध्यम से समर्थन किया जाएगा।

एमओएसपीआई के अनुरोध पर और पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर, चयनित इकाई जिसने समाधान विकसित किया है, समाधान के लिए विस्तृत मुख्यधारा की योजना तैयार करेगी और जीसी प्रस्ताव की निरंतरता और वित्तीय सहायता, यदि कोई हो, पर निर्णय लेगी। तथापि, मंत्रिमंडल, एमओएसपीआई के प्रयोक्ता प्रभाग के सहयोग से समाधान के प्रस्तावक के साथ कोई औपचारिक विचार-विमर्श किए बिना प्रस्तावित समाधान को जारी रखने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकता है।

प्रस्तावक अपने आईपीआर और पेटेंट के लिए समाधान को एमओएसपीआई के साथ संयुक्त रूप से आवेदन/पंजीकृत कर सकता है। यदि कोई प्रस्तावक/समाधान कार्यान्वयनकर्ता/एजेंसी आईपीआर या कोई पेटेंट प्राप्त कर लेती है तो इसके सभी स्रोत कोड और प्रौद्योगिकी के साथ कार्यान्वित समाधान का उपयोग/एक्सेस करने के लिए निरंतर असंहरणीय/अप्रतिबंधित और असीमित अधिकार बिना किसी और वित्तीय दायित्व के एमओएसपीआई को दिए जाएंगे। एमओएसपीआई समाधान कार्यान्वयनकर्ता/एजेंसी के आईपीआर/पेटेंट का उपयोग करने के लिए किसी भी वित्तीय प्रतिबद्धता के बिना कार्यान्वित समाधान को आगे बढ़ाने/संशोधन/बदलने/अपग्रेड करने के लिए स्वतंत्र होगा। समाधान कार्यान्वयनकर्ता/एजेंसी के साथ समझौते में आईपीआर/पेटेंट के लिए प्रासंगिक खंडों का समावेश अनुबंध में सीसी द्वारा किया जाएगा। हालांकि, एमओएसपीआई डीआई लैब में लागू किए गए किसी भी समाधान का व्यावसायिक रूप से दोहन नहीं करेगा, लेकिन यह डीआई लैब के सभी समाधानों को अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाओं/अन्य संगठनों को अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए सुविधा/विस्तार कर सकता है। समस्या विवरण का समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली कोई भी तकनीक, जिसे पहले से ही इकाई द्वारा पेटेंट कराया गया है, यदि आवश्यक हो तो ऊपर बताए गए किसी भी उद्देश्य के लिए एमओएसपीआई द्वारा समाधान के हिस्से के रूप में मुफ्त में उपयोग के लिए उपलब्ध माना जाएगा।

नोटः

क. *समाधान विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए प्रतिभागियों/आवेदकों/प्रस्तावक को वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी से उचित प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी।*

ख. *प्रस्तावित समाधान की निरंतरता/स्थिरीकरण के लिए वित्तीय पहलू को इनोवेशन लैब और एमओएसपीआई के संबंधित प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से निपटाया जा सकता है और इसे प्रारंभिक समाधान के हिस्से के रूप में नहीं मान जाएगा।*

ग. *आरईओआई/आरएफपी की मांग की जाएगी। टीओआर/समस्या विवरण भी आरईओआई/आरएफपी का हिस्स होगा। यदि आवश्यक हो तो संशोधन गवर्निंग काउंसिल की पूर्व स्वीकृति से किया जा सकता है।*

10.आवधिक मूल्यांकन

सीसी समय-समय पर डीआई लैब में विभिन्न परियोजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। जीसी को परियोजनाओं की स्थिति पर अद्यतन किया जाएगा। समस्या विवरण के डिलिवरेबल्स के कार्यान्वयन के दौरान, एसएमडी/कंप्यूटर सेंटर निगरानी और समीक्षा में बारीकी से शामिल होगा।

11.संभावित कार्यकाल

यह आशा की जाती है कि कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत प्रत्येक प्रस्ताव 12 माह की अवधि का होगा। हालांकि, इसे जरूरत और प्रदर्शन पर बढ़ाया जा सकता है। 24 महीने से अधिक का कोई भी विस्तार जीसी के अनुमोदन के अधीन होगा।

12.निकासी

डीआई लैब से बाहर निकलना निम्नलिखित परिस्थितियों में होगा लेकिन इन तक सीमित नहीं होगा:

- परियोजना की अवधि को पूरा करना।
- टीम का कम प्रदर्शन या प्रस्ताव की अव्यवहार्यता।
- अपूरणीय विवाद।
- शामिल टीम का कोई अधिग्रहण, परिवर्तन, विलय, समामेलन या पुनर्गठन।
- डीआई लैब के नियमों और शर्तों का पालन न करना।
- कोई अन्य कारण जिसके लिए डीआई लैब हितधारक के लिए बाहर निकलना आवश्यक महसूस कर सकता है।

बाहर निकलने के संबंध में डीआई लैब के जीसी के निर्णय को अंतिम माना जाएगा और किसी भी कानूनी मंच में विवादित नहीं होगा।

1. रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (ईओआई)

ईओआई की एक अस्थायी संरचना नीचे सूचीबद्ध है। निम्नलिखित प्रारूपों पर विचार में समस्या विवरण के अनुसार विवरण अनुकूलित किया जाएगा।

डेटा इनोवेशन लैब:

डेटा इनोवेशन लैब दूसरों के बीच उद्यमियों, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत शोधकर्ताओं और शैक्षणिक-अनुसंधान संगठनों की व्यापक भागीदारी के माध्यम से प्रयोग, नए विचारों और उनके प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट की पेशकश के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा। यह सर्वेक्षण से संबंधित कार्यप्रणाली सहित आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाएगा और एमओएसपीआई की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली (NSS) की चुनौतियों का समाधान करेगा। प्रकाशित समस्या विवरणों और समाधानों को प्रस्तुत करने के लिए भागीदारी को बुलाया जाता है।

अपेक्षित परिणाम:

चयनित इकाई डीआई लैब द्वारा प्राप्त/जारी समस्या विवरण के लिए एक पद्धतिगत सह तकनीकी समाधान की पेशकश करने के लिए परियोजना को निष्पादित करेगी।

पात्रता मानदंड:

भागीदारी भारत की फर्म/अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/व्यक्ति के लिए खुली है जैसा कि समस्याओं के विवरण के प्रस्ताव के साथ धारा 5 में दर्शाया गया है।
बहु-अनुशासनात्मक और बहु-आयामी टीम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ईओई की समय सीमा प्रस्तुत करना:

क्यों भाग लें:

डीआई लैब द्वारा तकनीकी रूप से अभिनव समाधान राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली (एनएसएस) को मजबूत करेगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भागीदारी के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी की परिकल्पना करता है।

अधिक जानकारी:

समस्या विवरण और समाधान प्रस्तुत करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट http://mospi.gov.in देखें

14. ड्राफ्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का फॉर्म

मसौदा प्रस्ताव फॉर्म नीचे हाइलाइट किया गया है। हालांकि, मांगे जाने वाले विवरणों को विचाराधीन समस्या विवरण के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा।

व्यक्तिगत विवरण और प्रमुख शोधकर्ता की संपर्क जानकारी	
आवेदन की तिथि:	
प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली इकाई (संगठन/व्यक्ति):	
संगठन का नाम:	
संगठन का प्रकार: *संबंधित संगठन प्रकार के बगल में 'X' करें।*	(a) शैक्षणिक संस्था: (b) कंपनी: क्या स्टार्ट-अप: (c) अनुसंधान एजेंसी: (d) अंतर्राष्ट्रीय संगठन: (e) व्यक्तिगत शोधकर्ता: 1. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें): *(नोट: इनमें से प्रत्येक को इस दस्तावेज़ में एजेंसी / संस्था के रूप में संदर्भित किया जाएगा।*
पंजीकृत कानूनी स्थिति (किसी संगठन के मामले में, जैसे, कंपनी, सोसाइटी, आदि)	

पता:	
फोन नंबर**:**	
ईमेल:	
कोर टीम के सदस्यों की प्रामाणिकताएं	
<नाम (पदनाम)>: *(कृपया प्रत्येक कोर टीम के सदस्य के लिए एक अतिरिक्त पंक्ति बनाएं, जिसके बाद योग्यता और अनुभव सहित उसकी साख हो, जैसा उपयुक्त और*	<प्रामाणिकताएं>
संदर्भ: *कम से कम 2 व्यक्तियों के अनुलग्नक नाम का उल्लेख करें जिनके डोमेन में उल्लेखनीय कार्य हैं जो इस प्रस्ताव की जांच करने में सक्षम हैं।*	
प्रस्तावित अनुसंधान का सारांश	
परियोजना का शीर्षक:	
प्रस्तावित प्रारंभ दिनांक:	
आवश्यक पहुंच की अनुमानित अवधि (महीने)): *क्या डीआई लैब में सुविधाओं की आवश्यकता होगी या एजेंसी के पास अपना बुनियादी ढांचा/उपकरण है*	
परियोजना का संक्षिप्त विवरण: *समस्या कथन से क्या समझा गया है इसकी अंतर्दृष्टि* *(शब्द सीमा: 1,000 शब्द)*	
अध्ययन/अनुसंधान के उद्देश्य: *परिणाम जो निश्चित रूप से एजेंसी द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे।*	

उल्लेख करें कि क्या अतिरिक्त परिणाम

आपका प्रस्ताव एमओएसपीआई **की आवश्यकताओं में कैसे योगदान देता है?** *प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा सकता है*	
परियोजना निष्पादन के लिए दृष्टिकोण (प्रौद्योगिकी/अनुसंधान डिजाइन और विधि)	
प्रौद्योगिकी/अनुसंधान डिजाइन/विधियों: *कृपया परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण का विवरण प्रदान करें* *समस्या कथन के लिए प्रदान किए गए समाधान का विवरण प्रस्तावित किया जा रहा है* *उपयोग की जाने वाली तकनीक, अनुसंधान डिजाइन*	
आउटपुट	
इच्छित आउटपुट: *कृपया उन आउटपुट पर विवरण प्रदान करें जिन्हें आप उत्पादित करना चाहते हैं*	
डिलिवरेबल्स और टाइमलाइन *पूर्ण परियोजना फ्रेम के साथ स्पष्ट डिलिवरेबल्स और मील का पत्थर। जैसे: पहला सप्ताह: कार्य x पूरा किया जाना है.*	

डिलिवरेबल्स योग्य विवरण	**डिलिवरेबल्स के लिए प्रस्तावित टाइमलाइन**

प्रकाशन और आईपीआर: *क्या एजेंसी इस समझौते का पालन करने के लिए तैयार है कि आईपीआर और इस परियोजना के निष्पादन से उत्पन्न किसी भी परिणाम का बाहरी प्रकाशन डीआई लैब और एजेंसी का संयुक्त प्रयास होगा।*	
मेंटरशिप: (क) *क्या मेंटरशिप की आवश्यकता है?* (ख) *यदि हां, तो आवश्यक मेंटरशिप के प्रकार का विवरण।*	

परिचालन विवरण

फंडिंग आवश्यकताओं का विवरण

कृपया नीचे दी गई तालिका में अपनी सांकेतिक धन आवश्यकताओं, यानी एक समग्र बजट, ब्रेकअप आदि पर व्यापक विवरण का विस्तार से उल्लेख करें

<धन की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रस्ताव द्वारा समाधान के विकास की दिशा में प्रयासों/निवेश के अनुरूप होनी चाहिए।

निर्दिष्ट आवश्यकता, काफी हद तक, समय-सीमा और डिलिवरेबल्स के माध्यम से मापने योग्य और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।>

लागत श्रेणी	**अनुरोधित फंडिंग (आईएनआर)**
श्रमशक्ति (सलाहकार, फ्रीलांसर, शोधकर्ता, आदि अनुमानित व्यक्ति-महीनों के साथ अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाएंगे)	
सेवाएँ (सदस्यता शुल्क)	
यात्रा (प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, परामर्श	

डिलिवरेबल्स, माइलस्टोन और टाइमलाइन

कृपया एक विस्तृत कार्य प्रसार योजना तैयार करें। इस ब्लॉक को फंडिंग आवश्यकताओं के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है ।

परियोजना का विवरण	**डिलिवरेबल्स योग्य विवरण**	**डिलिवरेबल्स लिए प्रस्तावित समयरेख**

डेटासेट	
एमओएसएसपीआई **डेटासेट/**वेरिएब्ल्स**:** *कृपया अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक डेटासेट और चर पर विवरण प्रदान करें*	
डेटा एक्सेस की आवश्यकता: *कृपया कोई अन्य डेटासेट बताएं (सार्वजनिक डोमेन में नहीं) कि किस एजेंसी को एक्सेस की आवश्यकता*	
बाहरी डेटा स्रोत: *उल्लेख करें कि क्या अन्य मंत्रालयों के डेटासेट भी आवश्यक हैं, क्या वे सार्वजनिक डोमेन आदि में हैं .*	

नोट:

(क) *यदि किसी अन्य संगठन या संस्था का आईपी शामिल है, तो उक्त संगठन या संस्था से एनओसी प्राप्त की जानी चाहिए। उपरोक्त किसी भी मामले में, यदि कोई ऐसा व्यक्ति / टीम है जिसने आईपी पर काम किया है और यदि उनमें से कोई भी स्टार्ट-अप का हिस्सा नहीं है, तो स्टार्ट-अप में आईपी के उपयोग के लिए ऐसे सदस्यों से एनओसी प्राप्त किया जाएगा। आईपीआर के उपयोग/दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए प्रतिभागी/संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी और मंत्रालय की ऐसे किसी भी विवाद के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।*

(ख) *संगठन से संबंधित दस्तावेजों और कोर टीम के क्रेडेंशियल्स का विवरण संलग्न करें।*

(ग) *जीसी द्वारा अनुमोदित परियोजना उद्देश्य और इसके विभिन्न घटकों के आधार पर एक उपयुक्त स्कोरिंग पद्धति परियोजना विवरण / परियोजना विवरण के साथ परियोजना के चयन में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगी।*

(घ) *एजेंसी को उसी परियोजना/समस्या विवरण के लिए कोई अन्य सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होना चाहिए*

(ङ) *एजेंसी/संस्था अपने ईओआई/आरएफपी में प्रस्तुत सांकेतिक अनुमान के अनुरूप अनुबंध के रूप में पारिश्रमिक और प्रतिपूत के टूटने को दर्शाते हुए उपयुक्त दस्तावेज प्रदान करेगी.*

1) समस्या का विवरण

पृष्ठभूमि/परिचय

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

अपेक्षित परिणाम/समाधान

उपयोग की गई परिभाषाएँ

उपरोक्त प्रारूप प्रकृति में सांकेतिक है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शीर्षक/उप-शीर्षक जोड़े जा सकते हैं।